पत्रांक : 14 / कोर्ट–02–11 / 2022 का०.....3463.....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 03/06/2022

विषय :– प्रोन्नति पर जारी रोक संबंधी विभागीय पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 को आहरित करने एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के वरीय (senior) सरकारी सेवकों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय (junior)कर्मियों को दी गयी प्रोन्नति की शिकायत पर विधान सभा में उठाये गये प्रश्न के आलोक में विधान सभा द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था एवं आलोच्य मामले की जाँच की गयी थी, जिस क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति की प्रक्रिया स्थगित की गयी। झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के कार्यालय पत्रांक–593, दिनांक–19.03.2021 के माध्यम से विशेष समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रोन्नति पर जारी रोक के कारण माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कतिपय वाद / अवमाननावाद दायर हुए, जिस क्रम में W.P.(S) No-1390/2021 एवं संलग्न वादों में दिनांक–13.01.2022 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रोन्नति पर जारी रोक संबंधी परिपत्र को निरस्त किया जा चुका है।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रोन्नति पर जारी स्थगन संबंधी आदेश सं0–6752, दिनांक–24.12.2020 को निम्न स्पष्टीकरण के साथ आहरित किया जाता है–

" आर0 के0 सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–10.02.1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–36028 / 17 / 2001 ईस्ट(आर0ई0एस0), दिनांक–11.07.2002 तथा पत्रांक–36012 / 45 / 2005 ईस्ट(आर0ई0एस0), दिनांक–10.08.2010 से यह स्पष्ट है कि **वरीयता–सह–पात्रता के प्रावधान के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान करने अथवा विचार करते समय, मूल कोटि की वरीयता सूची में वरीयता क्रम में सामान्य वर्ग से उपर रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को अनारक्षित रोस्टर बिन्दु पर प्रोन्नति अनुमान्य होगी।** इस क्रम में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वरीय सरकारी सेवकों को अनारक्षित बिन्दु पर पदोन्नत करते समय यह देखा जाना आवश्यक नहीं है कि उनकी नियुक्ति मेधा के आधार

पर हुई अथवा आरक्षण के आधार पर"। (वरीयता–सह–पात्रता के प्रावधान के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोन्नति का उदाहरण परिशिष्ट 'क' पर देखा जा सकता है।)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका–3 के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

3.6.22

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/कोर्ट–02–11/2022 का०3463/ राँची, दिनांक–03/06/2022

प्रतिलिपिः–झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–क

वरीयता–सह–पात्रता के प्रावधान के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोन्नति का एक उदाहरणः–

मान लिया जाय कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में यदि प्रोन्नति के विचारण सूची में 50 पदों पर प्रोन्नति दी जाती है तो क्रमांक 1 से 50 तक के पदाधिकारियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प, ज्ञापांक–1072, दिनांक–17.02.2009 के द्वारा निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नवत् रूप से प्रोन्नति अनुमान्य होगीः–

अनारक्षित–1,3,4,5,7,9,11,12,13,15,17,19,20,21,23,25,27,29,31,32,33,35,37,39,40, 41,43,45,47,49	=	32
अ0जा0– 6, 16, 24, 36, 46	=	5
अ0ज0जा0– 2, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 44, 50	=	13

उपरोक्त अनुमान्यता के अनुसार कुल 32 सामान्य श्रेणी के पदधारकों को प्रोन्नति प्रदान की जानी है। इस क्रम में यह प्रावधानित है कि वरीयता सूची में 1 से 32 कोटि क्रमांक तक के सभी पदधारकों को अनारक्षित बिन्दुओं के रिक्ति के अनुसार संमंजित किया जाएगा। कोटि क्रमांक 1 से 32 के मध्य अनु0जनजाति/अनु0 जाति के पदधारकों को भी अनारक्षित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध ही प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। इस क्रम में यह देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि संबंधित कर्मी मेधा पर चयनित है अथवा आरक्षण के आधार पर।

इसके उपरान्त कोटि क्रमांक 32 से नीचे के अनु0 जनजाति/अनु0 जाति के सरकारी सेवकों को उनके लिए निर्धारित आरक्षित कोटा के विरूद्ध पदोन्नत किया जाएगा। अर्थात कोटि क्रमांक 32 से नीचे प्रथम 5 (पाँच) अनुसूचित जाति के पद धारकों को अनुसूचित जाति के लिए चिन्हित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध तथा कोटि क्रमांक 32 से नीचे प्रथम 13 (तेरह) अनुसूचित जनजाति के पदधारकों को अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जायगी।